संख्या:86/2015/663जेएल/22-3-15-100(24)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2015***

विषय: जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रामगोपाल पुत्र श्री रामभरोसी यादव को केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-6167/सामा-1(3)/12 आगरा मं0/2007, दिनांक 25-02-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय, स्पेशल जज, गैंगेस्टर कोर्ट सं0-7, फिरोजाबाद द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के दृष्टिगत उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रामगोपाल पुत्र श्री रामभरोसी यादव को केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:86/2015/663जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in